

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद
पटना।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- सर्वश्री डिआईजीओ इंडिया प्रा0 लि0, औरंगाबाद, महाराष्ट्रा के लेबुल को "बिहार राज्य" के सैन्य बलों के कैंटीनो में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1314 दिनांक 04.04.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री डिआईजीओ इंडिया प्रा0 लि0, औरंगाबाद, महाराष्ट्रा के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित विदेशी शराब के निम्नलिखित लेबुल को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत किया जाता है :-

क्र0	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम0 एल0 में)	पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	स्मिरनॉक ट्रीपल डिस्टीलड वोदका	750	N 491/11-12	491/12-13
2	स्मिरनॉफ औरेंज ट्रीपल डिस्टीलड वोदका	750	N 492/11-12	492/12-13
3	स्मिरनॉक ग्रीन एपल ट्रीपल डिस्टीलड वोदका	750	N 493/11-12	493/12-13
4	भैट 69 बलैण्डेड स्कौच व्हिस्की	750	N 494/11-12	494/12-13
5	ब्लैक एण्ड व्हाइट ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	750	N 495/11-12	495/12-13
6	हेग गोल्ड लेबल ब्लेण्डेड स्कॉच व्हिस्की	750	327/11-12	327/12-13
7	सार्कटूथ ट्रीपल डिस्टीलड एक्सट्रा स्मूथ वोदका	750	367/11-12	367/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुल को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुल को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत इन लेबुल पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- वार्षिक संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्लेव के आधार पर अंत की राशि को जमा करना होगा।
- लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल एवं सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(नवीन कुमार मिश्र)

संयुक्त आयुक्त उत्पाद

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140-ले0नि0-02/2011

2097

पटना, दिनांक:- 16-4-12

प्रतिलिपि :-सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/सी0 एस0 डी0 डिपो रामगढ़
कैन्ट, (झारखंड)/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री डिआईजीओ इंडिया प्रा0 लि0, औरंगाबाद, महाराष्ट्रा को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद

बिहार, पटना।

दिनांक